NCDC
Assisting Cooperatives. Always!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
(संसदीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय)

विज्ञापन संख्या : 01/2021

सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद व वेतनमान	विशेषता का क्षेत्र	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा	पात्रता
1. उप निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-11 में	सामान्य	1 (ईडब्ल्यूएस)	35 वर्ष	***अनिवार्य:*** स्नातक डिग्री के साथ वित्त/ विपणन में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. (2 वर्षीय पूर्णकालिक / 3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य/ सांख्यिकी/ कृषि- व्यापार/ ग्रामीण प्रबंधन/ सहकारी प्रबंधन/ बैंकिंग/ बीमा क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड लेखाकार/ लागत लेखाकार शैक्षिक योग्यता के उपरान्त किसी बैंक/ वित्तीय/ विकासात्मक संस्था में वित्त, लेखा, लागत निर्धारण, कराधान, जोखिम मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, संसाधन प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, वित्त, निगरानी, मूल्यांकन तथा संबद्ध क्षेत्रों में कार्यपालक क्षमता में 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता।
2. उप निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-11 में	एमआईएस	1 (अनु.जा.)	35 वर्ष	***अनिवार्य:*** कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्यूनिकेशन में बी.ई./ बी.टेक. अथवा एम.सी.ए. या कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. शैक्षिक योग्यता के उपरांत सिस्टम विश्लेषण / डेटा प्रबंधन / आवश्यकता-आधारित सॉफ्टवेयर या ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर आदि के क्षेत्रों में, बैंक / वित्तीय संस्थान में अधिमान्य / कार्यपालक क्षमता में 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव।
3. उप निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-11 में	खाद्य प्रसंस्करण	1 (अ.पि.व.)	35 वर्ष	***अनिवार्य:*** खाद्य प्रसंस्करण में बी.ई./ बी.टेक. शैक्षिक योग्यता के उपरान्त संबंधित क्षेत्र में इकाइयों के कार्यान्वयन/ संचालन/ रख-रखाव/ गुणवत्ता नियंत्रण आदि का कार्यपालक क्षमता में 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता।

पद व वेतनमान	विशेषता का क्षेत्र	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा	पात्रता
4. सहायक निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-10 में	सामान्य	5 (अनारक्षित-1) (अनु.जा.-1) (अनु.ज.जा-1) (ईडब्ल्यूएस-2) कुल 5 रिक्तियों में से 1 रिक्ति नीचे दिए गए नोट में दर्शायी गई शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी (क) हेतु आरक्षित है	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** स्नातक डिग्री के साथ वित्त/ विपणन में विशेषज्ञता सहित एम.बी.ए. (2 वर्षीय पूर्णकालिक/ 3 वर्षीय अंशकालिक) अथवा अर्थशास्त्र/ वाणिज्य / सांख्यिकी / कृषि व्यापार / ग्रामीण प्रबंधन/ सहकारी प्रबंधन/ बैंकिंग / बीमा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड लेखाकार/ लागत लेखाकार शैक्षिक योग्यता के उपरान्त किसी बैंक/ वित्तीय/ विकासात्मक संस्था में वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना वित्त पोषण, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा संबंद्ध कार्यों में 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता।
5. सहायक निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-10 में	विधिक	1 (ईडब्ल्यूएस)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** विधि/कानून में स्नातक डिग्री तथा बार कॉउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन। शैक्षिक योग्यता के उपरान्त विधिक/वित्तीय प्रलेखों, रेहनों, गारंटियों, बंधनों, वसूली के विवादों / दावों आदि तथा विधि के विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों में चल रहे विवादों से संबंधित मामलों, अधिमानत: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से संबंधित क्षेत्रों में 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता।
6. सहायक निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-10 में	एमआईएस	1 (अनारक्षित)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्यूनिकेशन में बी.ई./ बी.टेक. अथवा एम.सी.ए. या कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. शैक्षिक योग्यता के उपरांत सिस्टम विश्लेषण/डेटा प्रबंधन/आवश्यकता-आधारित सॉफ़्टवेयर या ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर आदि के क्षेत्रों में बैंक/वित्तीय संस्थान में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव
7. सहायक निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-10 में	बागवानी	1 (अ.पि.व.)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** बागवानी में बी.टेक./ बी.एस.सी. शैक्षिक योग्यता के उपरान्त क्षेत्र में इकाइयों के कार्यान्वयन/ संचालन/ रखरखाव/गुणवत्ता नियंत्रण आदि में 2 वर्ष

पद व वेतनमान	विशेषता का क्षेत्र	रिक्तियों की संख्या	आयु सीमा	पात्रता
				कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता ।
8. सहायक निदेशक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-10 में	पशुधन	1 (अ.पि.व.)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री (बी.वी.एससी. एवं एएच)। शैक्षिक योग्यता के उपरान्त क्षेत्र में इकाइयों के कार्यान्वयन/ संचालन/ रखरखाव/गुणवत्ता नियंत्रण आदि में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव तथा कंप्यूटर एवं संबंधित सॉफ्टवेयर के प्रयोग में प्रवीणता ।
9. प्रोग्राम अधिकारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-7 में	सामान्य	6 (अ.पि.व-1) (अनु.जा-2) (ईडब्ल्यूएस-3)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंको सहित स्नातक डिग्री (अनु. जा./ अनु. ज.जा. के मामले में 45 % तक) (ii) शैक्षिक योग्यता के उपरान्त केंद्रीय/ राज्य सरकार / अर्धसरकारी संगठनों / सहकारी संगठनों में 2 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । **<u>वांछनीय :</u>** सहकारिता में डिप्लोमा
10. वरिष्ठ सहायक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-6 में	सामान्य	3 (अनु.जा.-1) (ईडब्ल्यूएस-2)	30 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% (अनु.जा./ अनु.ज.जा. के मामले में 45% तक) अंकों सहित स्नातक डिग्री (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान
11. कनिष्ठ सहायक सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर-4 में	सामान्य	9 (अनारक्षित-1) (अ.पि.व-2) (अनु.जा-2) (अनु.ज.जा-1) (ईडब्ल्यूएस-3) कुल 9 रिक्तियों में से 01 रिक्ति भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित है	27 वर्ष	**<u>अनिवार्य:</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री तथा कम्प्यूटर का ज्ञान

नोट:

i) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

ii) पदों पर चयनित उम्मीदवारों को देश के किसी भी भाग में सेवा करने हेतु तैनात किया जा सकता है। ये पदधारक मुख्यालय, लिनाक, गुरूग्राम व निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

iii) शारीरिक रूप से दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए नियुक्त अभ्यर्थी अपनी-अपनी संबंधित श्रेणी अर्थात, अनारक्षित/अनु. जा./अनु.जन.जा./अ.पि.व. /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)के पदों पर समायोजित किये जायेंगे ।

iv) आयु सीमा में छूट, केन्द्रीय सरकार/एनसीडीसी के नियमों के अनुसार, अनु.जा./ अनु.जन.जा. /शारीरिक रूप से दिव्यांग /भूतपूर्व सैनिक /अ.पि.व. (क्रीमीलेयर को छोड़कर) /विभागीय (केवल एनसीडीसी के कर्मचारियों हेतु) अभ्यर्थियों के लिए निम्न प्रकार से होगी :-

- अ.पि.व. – 3 वर्ष
- अनु.जा. – 5 वर्ष
- अनु.ज.जा. – 5 वर्ष
- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (कम से कम 40% तक शारीरिक रूप से दिव्यांग) हेतु – 10 वर्ष
- भूतपूर्व सैनिक –प्रदान की गयी वास्तविक सैन्य सेवा के साथ 3 वर्ष
- विभागीय अभ्यर्थी (केवल एनसीडीसी के कर्मचारियों हेतु) – 5 वर्ष
- अभ्यर्थी जो सामान्य तौर पर दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अधिवासित रहें हो – 5 वर्ष

v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी जो कि शारीरिक रुप से दिव्यांगता अथवा भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, संचयी रूप से आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे।

vi) यदि अ.पि.व./ अनु.जा./अनु.ज.जा./ हेतु कोई रिक्ति आरक्षित नहीं हैं, तब भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि, वे किसी भी प्रकार के छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

vii) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं 36039/1/2019 – ईएसटीटी(आरईएस) दिनांक 31.01.2019 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की रिक्तियां अस्थायी हैं तथा भारत सरकार के अग्रिम निर्देशों एवं किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये नियुक्ति अनंतिम है तथा केवल उचित माध्यम से सत्यापित की गई आय उपार्जन एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2019- 20 हेतु केवल आय उपार्जन एवं संपत्ति प्रमाण पत्र पर लिया जा सकता है।

ix) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों हेतु वर्गीकरण
क) नेत्रहीनता एवं अल्प दृष्टि;
ख) बधिर एवं अल्प श्रवण क्षमता ;
ग) चलने में असमर्थ समेत मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के शिकार तथा मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डाईस्ट्रोफी)
घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;
ड़) अनुच्छेद (क) से (घ) के तहत बधिर- नेत्रहीनता सहित व्यक्तियों में से विभिन्न दिव्यांगताएं

x) एक प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) का उपयोग करने हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रभावित है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी व्यय पर अपने स्वयं के प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) को प्रयुक्त कर सकते हैं । ऐसे सभी मामलों में जहाँ एक प्रतिलिपि लिखने वाला (स्क्राइब) प्रयुक्त किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती हेतु, भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) का उपयोग करने के लिए योग्य है।
- अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) की व्यवस्था करनी होगी ।
- प्रतिलिपि लेखक की शैक्षणिक धारा पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक धारा से अलग होना चाहिए ।
- अभ्यर्थी एवं साथ ही साथ प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) दोनों को परीक्षा के समय कॉल लेटर एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा, जो यह पुष्टि करेगा कि प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है । इसके अतिरिक्त, यदि बाद में प्रतिलिपि लेखक के माध्यम से यह विदित होता है कि उसने किसी पात्रता मानदंड या सामग्री संबंधी तथ्यों को पूरा नहीं किया है तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के बावजूद, आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए शपथ पत्र का प्रारूप कॉल लेटर के साथ या उससे पूर्व एनसीडीसी ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

- प्रतिलिपि लेखक का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे अथवा यथानिर्देशित किए जाएंगे ।
- एक प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) केवल एक अभ्यर्थी के लिए ही कार्यरत होगा अन्य किसी भी अभ्यर्थी के लिए नहीं हो सकता है । इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रतिलिपि लिखने वाला (स्क्राइब) आयोजित परीक्षा में उसी परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए । यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त उल्लंघन का पता चलता है, तो अभ्यर्थी तथा प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । परीक्षा में प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानी से समान रूप से सूचित करें । बाद में, संभवत: किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक समय के लिए रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थी को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, यह परीक्षण करने वाली एजेंसी के लिए संभव नहीं होगा कि वह ऐसे समय की अनुमति दें, जबकि वे उसके लिए पंजीकृत नहीं है । यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिपूरक समय हेतु पंजीकृत नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(i) चलने में असमर्थ समेत मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

चलने में असमर्थ समेत मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी जहां कार्य के प्रदर्शन (न्यूनतम 40% हानि) को कम करने के लिए प्रमुख (लेखन) चरम सीमा प्रभावित होती है।

(ii) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम दिव्यांगता से पीड़ित नहीं हैं) परीक्षण की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे अथवा यथानिर्देशित किए जाएंगे ।

कम दृष्टि (लो विजन) के अंतर्गत, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों, जो प्रतिलिपि लिखने वाला (स्क्राइब) का उपयोग करते हैं, रीजनिंग की परीक्षा गैर-मौखिक प्रश्नों यदि कोई हो, एवं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट में टेबल/ग्राफ संबंधित प्रश्नों यदि कोई हो, तो छोड़ सकते हैं। संबंधित परीक्षा के अन्य भागों में प्राप्त कुल औसत के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे।

उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों / स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं ।

xi) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

i. चलने में असमर्थ समेत मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट का प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी जहां कार्य के प्रदर्शन (न्यूनतम 40% असमर्थता) को धीमा करने और अल्प दृष्टि (जो 40% से कम दिव्यांगता से पीड़ित नहीं हैं) के तहत दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रमुख (लेखन) चरम सीमा प्रभावित होती है।

ii. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम दिव्यांगता से पीड़ित नहीं हैं) परीक्षण की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे। मैग्निफाइंग फ़ॉन्ट में परीक्षण की सामग्री को देखने की सुविधा दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो परीक्षा के लिए एक प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

दिव्यांगजन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन फा.सं. 16-110/2003-डीडी।।। दिनांकित 26/02 /2013 के जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक प्रतिलिपि लेखक (स्क्राइब) के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों / स्पष्टीकरणों के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं, यदि कोई हो।

xii) विज्ञापन में यथा अनुबंधित शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि दिनांक 15.03.2021 के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

xiii) अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लघु सूची कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित करके तैयार की जाएगी। विभिन्न पदों हेतु चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

- उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों हेतु, सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा । तथापि उनको, आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, श्रेणी आदि से समर्थित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के उपरांत ही साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी । उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों हेतु चयन सीबीटी एवं साक्षात्कार दोनों की सयुंक्त मैरिट के आधार पर होगा । सीबीटी तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में किये गये प्रदर्शन हेतु वरीयता 80:20 के अनुपात में दी जाएगी ।
- प्रोग्राम अधिकारी के पद हेतु चयन सीबीटी में मैरिट के आधार पर होगा । सीबीटी में मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, श्रेणी आदि से समर्थित दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा । निगम को पूरक दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा ।
- वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के पदों हेतु सीबीटी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, वर्ग से समर्थित दस्तावेजों के साथ कम्प्यूटर ज्ञान के मूल्यांकन हेतु बुलाया जाएगा। ऐसे अभ्यार्थी जो निगम को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, को कम्प्यूटर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। मात्र ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो कि कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तथा उनका चयन सीबीटी में मैरिट के आधार पर होगा ।

xiv) उप निदेशक पद हेतु, उन व्यक्‍ि‍ायों के अनुभव को कार्यपालक क्षमता में माना जायेगा जो सरकारी क्षेत्र/स्वायत्त निकायों में 7वें वेतन आयोग के अनुसार मैट्रिक्स स्तर–7 अथवा अन्य वेतन के समकक्ष (पूर्व संशोधित पे बैंड-2 में 4600/- ग्रेड वेतन) में कार्यरत होंगे । निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मामले में, उन व्यक्‍ि‍ायों के अनुभव को कार्यपालक क्षमता में माना जायेगा जो प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत होंगे।

xv) उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों हेतु सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय में कार्य अनुभव को एक विकासात्मक संस्थान में कार्य अनुभव के रूप में माना जाएगा ।

xvi) यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी चयन के किसी चरण में यह समझें कि अनु.जा./अनु.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को इन समुदायों को योग्यता और अनुभव में छूट प्रदान करने का अधिकार होगा ।

xvii) मात्र अनिवार्य योग्यताओं की पूर्ति से अभ्यर्थी कौशल जांच/लिखित परीक्षा/मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं होंगे। एनसीडीसी शैक्षिक रिकॉर्ड, अंकों की प्रतिशतता/अनुभव आदि के आधार पर प्राथमिक चयन कर सकता है ।एनसीडीसी के पास चयन प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि उचित समझा जाता है ।

xviii) वेतन+ग्रेड वेतन के अतिरिक्त पदों के लिए केन्द्र सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता/मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता देय है। अन्य लाभों में निगम के नियमों के अनुसार नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना, ग्रेच्युटी, समूह बीमा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत शामिल हैं । निगम में सेवाकाल के दौरान देश में कहीं भी सेवा करने का दायित्व अंर्तनिहित है ।

xix) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के प्रत्येक पद के लिए 1200/-रूपये तथा प्रोग्राम अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए 750/-रूपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा । एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क देना होगा । अनु.जा./अनु.जन.जा./शारीरिक रूप से दिव्यांग (कम से कम 40% तक शारीरिक रूप से दिव्यांग) व्यक्तियों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है ।

xx) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप -
यदि अभ्यार्थी आरक्षित रिक्तियों अथवा आयु छूट अथवा शुल्क छूट के संबंध में आवेदन करता है, तो कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप में भरकर सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न किए जाने के मामले में, आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और/अथवा वे ऐसी श्रेणियों हेतु लागू छूट/रियायत के लिए पात्र नहीं होंगे । अभ्यार्थी कृपया प्रमाण पत्रों के प्रारूप हेतु एनसीडीसी की वेबसाइट www.ncdc.in को देखें ।

xxi) ऐसे अभ्यार्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं, वे यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और वह निर्णायक तिथि 15.03.2021 तक क्रिमीलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

xxii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी द्वारा आय उपार्जन एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि 15.03.2021 होगी ।

xxiii) परीक्षा की पद्धति तथा विषय एनसीडीसी की वेबसाइट www.ncdc.in पर अधिसूचित कर दिया जाएगा ।

xxiv) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल न्यायक्षेत्र दिल्ली के अधीन होगा ।

जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु तथा अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं वे अपने आवेदन एनसीडीसी की वेबसाइट www.ncdc.in पर ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करें तथा प्रस्तुत किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले लें। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा आवेदन की हार्ड प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है । साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी जांच के लिए अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की हार्ड प्रतिलिपि तथा अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, निर्धारित प्रपत्र में अनु.जा./अनु.जन.जा./ अ.पि.व./ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ शारीरिक रूप से दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण-पत्र (यदि लागू हों, एनसीडीसी की वेबसाइट www.ncdc.in पर जाएँ), की स्वसत्यापित प्रतियां, अपने वर्तमान नियोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि किसी सरकारी/सार्वजनिक के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में कार्यरत हैं) लाएं । ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन तक है ।